‘एक जिला-एक उत्पाद’ की ब्रांडिंग योजना के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। कैबिनेट ने रिटेल स्टोर्स के माध्यम से ‘एक जिला-एक उत्पाद’ की ब्रांडिंग योजना के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। उत्पादों को बढ़ावा देने, ग्लो साइन बोर्ड, स्टैंडीज और अन्य प्रचार-प्रसार के माध्यमों से इन खुदरा दुकानों की ओडीओपी स्टोर्स के रूप में ब्रांडिंग करना इसका मुख्य उद्देश्य है। योजना उत्तर प्रदेश के साथ ही प्रदेश के बाहर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों तक सीमित रहेगी। ओडीओपी उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग योजना प्रारंभ होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगी।

पंचायत क्षेत्र में स्थापित ओडीओपी स्टोर्स के लिए 40 हजार रुपये, नगर पालिका क्षेत्र में 60 हजार रुपये और नगर निगम क्षेत्र में1 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। दिल्ली एवं मुंबई में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर स्टोर स्थापित करने के लिए क्रमशः 5 लाख और 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। लखनऊ, वाराणसी, पुणे, कोचीन, बडोदरा, अमृतसर, इंदौर, नागपुर, मंगलौर, विशाखापत्तनम, तिरुपति और अन्य प्रदेश राजधानी में स्थापित स्टोर के लिए यही राशि 4 लाख और डेढ़ लाख रुपये होगी। अन्य स्थानों पर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर स्थापित स्टोर के लिए यह राशि क्रमशः 3 लाख और 75 हजार होगी।ओडीओपी स्टोर का चयन कुल क्षेत्रफल के आधार पर किया जाएगा। आवेदन पत्रों को ओडीओपी उत्पादों को अधिक डिस्प्ले स्थान देने वाले स्टोर के आधार पर घटते क्रम में रखते हुए सूची उपायुक्त उद्योग बनवाएंगे। पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करने पर ओडीओपी उत्पादों को अधिक डिस्प्ले क्षेत्रफल उपलब्ध कराने वाले स्टोर्स को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य का निर्धारण आयुक्त एवं निदेशक उद्योग स्तर से होगा। प्रत्येक जिले में चयन वहां के डीएम या मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यीय समिति करेगी। उपायुक्त उद्योग सदस्य संयोजक होंगे। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के लिए चयन ‘प्रथम आवत-प्रथम पावत’ के आधार पर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग (ओडीओपी प्रकोष्ठ) के माध्यम से होगा। प्रति एयरपोर्ट और प्रति रेलवे स्टेशन अधिकतम एक स्टोर वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा।

कैबिनेट बैठक के फैसले

भूगर्भ जल अधिनियम में संशोधन का रास्ता साफ

कैबिनेट ने ‘उत्तर’प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2019 में संशोधन किए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ‘उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) संशोधन विधेयकए-2020 के प्रारूप और अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन को राज्य विधानमंडल से पारित कराए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। यह अधिनियम 2 अक्तूबर, 2019 से लागू है। अधिनियम को और स्पष्ट और जनसुलभ बनाने के लिए कुछ संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली, 2020 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर खुलेंगे ओडीओपी स्टोर

प्रदेश सरकार की ओर से आवेदकों को मिलेगी विशेष प्रोत्साहन राशि

कैबिनेट के फैसले

■ **एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ :** ओडीओपी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पंचायत क्षेत्र, नगर पालिका क्षेत्र और नगर निगम क्षेत्र में ओडीओपी स्टोर खोले जाएंगे। इन स्टोर्स के लिए विशेष प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। यूपी और दूसरे राज्यों में ओडीओपी उत्पादों की मांग बढ़े, इसके लिए राज्य सरकार ने ब्रैंडिंग योजना शुरू की है। मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी। योजना के तहत रिटेल स्टोर्स के खाली स्थान पर ओडीओपी उत्पाद लगाए जाएंगे।

पंचायत से लेकर स्टेशन तक के लिए सहायता : पंचायत क्षेत्र में स्टोर खोलने पर 40,000 रुपये, नगर पालिका में 60,000 रुपये, नगर निगम में 1 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। दिल्ली-मुंबई एयरपोर्ट के लिए 5 लाख, रेलवे स्टेशन के लिए 2 लाख, लखनऊ, वाराणसी व अन्य प्रदेश की राजधानियों में एयरपोर्ट के लिए 4 लाख और रेलवे स्टेशन के लिए 1.5 लाख रुपये की सहायता मिलेगी। अन्य स्थानों के एयरपोर्ट पर 3 लाख व रेलवे स्टेशन के लिए 75 हजार रुपये मिलेंगे। स्टोर्स कहां खुलेंगे इसका चयन करने के लिए जिला स्तर पर कमिटी होगी। डीएम या नामित सीडीओ इसके अध्यक्ष होंगे। पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर चयन होगा।

दनकौर विकास खंड खत्म, तीन का पुनर्गठन : नोएडा के दनकौर विकास खंड को खत्म कर बिसरख, दादरी व जेवर का पुनर्गठन किया गया है। वहीं, मुरादाबाद के बिलारी व संभल के बनियाखेड़ा ब्लॉक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनों के स्वामित्व का निर्धारण करने के लिए ड्रोन सर्वे योजना के लिए नियमावली भी मंजूर कर ली गई है। पहले चरण में 54 हजार गांव चिह्नित किए गए हैं। नियमावली में अभिलेख अधिकारी की भूमिका तय की गई है।

जेवर एयपोर्ट के लिए रियायत संबंधी एग्रीमेंट : कैबिनेट ने जेवर एयपोर्ट के निर्माण के लिए रियायत संबंधी अनुबंध हस्तांतरित किए जाने और बिड वैलिडिटी की समयसीमा बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा एयरपोर्ट की जगह पर पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर हटाने के लिए विभागीय खर्च से वहन किया जाएगा। एयरपोर्ट के लिए बनी एसपीवी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच रियायत संबंधी अनुबंध 7 अक्टूबर को साइन होगा।

कैंसर इंस्टिट्यूट में रखे जाएंगे रिटायर्ड प्रफेसर : कैबिनेट ने सैफई पीजीआई, सुपर स्पेशियालिटी बाल अस्पताल नोएडा, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेनो और कैंसर इंस्टिट्यूट लखनऊ में प्रफेसर के खाली पदों पर मेडिकल कॉलेजों, विवि व आर्म्ड मेडिकल सर्विसेज के रिटायर्ड शिक्षकों को रखा जाएगा। उन्हें 2.20 लाख रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।

सभी जिलों में स्वयं सहायता समूह बांटेंगे पोषाहार

प्रदेश के सभी जिलों में अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनुपूरक पोषाहार का वितरण राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों के जरिए किया जाएगा। पहले चरण में 18 जिलों में यह व्यवस्था लागू की गई थी।इसके लिए बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग व राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बीच एमओयू होगा। इसके बाद एसओपी तय कर 4 से 6 सप्ताह में वितरण शुरू कर दिया जाएगा। योजना पर 4190.62 करोड़ रुपये खर्च होंगे। केंद्र व राज्य आधा-आधा खर्च उठाएंगे। इससे बड़े पैमाने पर महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा।

ये फैसले भी हुए

- धान खरीद के लिए क्रय संस्थानों को अग्रिम कर्ज लेने पर सहमति
- इटावा जिला जेल को सेंट्रल जेल बनाने व निर्माण के लिए 272.31 करोड़ रुपये की मंजूरी
- यूपी भूगर्भ जल प्रबंधन संशोधन विधेयक व नियमावली में संशोधन पर सहमति
- देवबंद रुड़की रेल लाइन परियोजना और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए सहारनपुर, मेरठ व नोएडा में सिंचाई विभाग की जमीन रेल मंत्रालय को दी जाएगी
- आईटीआर कंपनी बरेली के कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए कंपनी की 4.67 एकड़ भूमि 62 करोड़ में राज्य कर्मचारी बीमा निगम को बेचने पर सहमति
- राजभवन स्टाफ क्लब के विस्तार के लिए बगल में स्थित जर्जर आवास ध्वस्त होंगे